प्रेस नोट दिनाँक-17.08.2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में मादक पदार्थो/अवैध शराब की बिक्री के रोकथाम हेतू चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आबकारी निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार मिश्रा व प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवमूरत यादव की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त रज्जन सिंह पुत्र समरजीत सिंह निवासी हरदीकला थाना बरगढ चित्रकूट को 30 अदद क्वार्टर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

30 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. आबकारी निरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्र
2. आबकारी सिपाही मनोज कुमार पांडेय
3. आबकारी सिपाही लालाराम
4. प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ शिवमूरत यादव
5. आरक्षी चंदन विश्वकर्मा
6. आरक्षी विवेक कुमार
7. आरक्षी हरिशरण
8. महिला आरक्षी निधि सेंगर

(2). दिनाँक -16/17.08.2022 की रात्रि में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा थाना मऊ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा थाना कार्यालय में रजिस्टर नं 04, थाना समाधान रजिस्टर, फ्लाईशीट, रजिस्टर नं0 08 एवं अन्य रजिस्टरों का अवलोकन कर अद्यावधिक करने हेतु निर्देश दिये गये, महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर आगन्तुक रजिस्टर को चेक कर डियूटी में नियुक्त महिला आरक्षी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा थाना परिसर में खड़े माल मुकदमाती वाहनों के निस्तारण कराने हेतु तथा थाना परिसर की साफ-सफाई हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये ।आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजीव कुमार सिंह, पीआरओ श्री वीर प्रताप सिंह चौहान एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). आज दिनाँक 17.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(4). आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज दिनाँक-17.08.2022 को पुलिस लाइन चित्रकूट में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय द्वारा डायल 112 के दोपहिया/चार पहिया वाहनों की तिरंगा यात्रा को हरी झण्डी देकर रवाना किया गय। यह तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन से होकर पर्यटक तिराहा पर समाप्त की गयी। यूपीटी तिराहा पहुंचने के उपरान्त अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा मौके पर उपस्थित आमजनमानस व बच्चों तथा तिरंगा यात्रा मे प्रतिभाग करने वाले पुलिस कर्मियों का मुंह मीठा कराया गया।

इस तिरंगा यात्रा में डायल 112 प्रभारी श्री रामजीत यादव, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह, यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव, दो पहिया प्रभारी उ0नि0 श्री मंगलेश्वर, प्रभार परिवहन शाखा श्री कमल यादव एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). थाना राजापुर जनपद चित्रकूट में मार्च 2021 में तिहार क्षेत्र में जहरीली शराब पीने के कारण सात व्यक्तियों 1.सीताराम सिंह पुत्र शिवपाल सिंह 2. मुन्ना सिंह पुत्र देवनाथ 3.सत्यम पुत्र जितेन्द्र 4.दुर्विजय उर्फ दादू पुत्र कंचन 5.बबली पुत्र अंबोल नि0गण ग्राम खोपा थाना राजापुर चित्रकूट 6.बब्बू सिंह उर्फ जयनारायण सिंह पुत्र चंद्रशेखर सिंह निवासी देवारी 7.चुन्ना पुत्र महावीर निवासी ग्राम भदेदू उपरोक्त की मृत्यु हो गयी थी तथा क्षेत्र में भिन्न गांव से लगभग 15 व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार थे , जिनमें से कुछ व्यक्ति अब भी आंशिक इलाजरत है । जिससे निम्न अभि0गण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/2021 धारा 302/328/272/420/467/468/471भादवि व 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था । श्रीमान जिलाधिकारी महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह की सलाह के अनुसार तथा प्रभारी निरीक्षक दीपेन्द्र कुमार सिंह राजापुर के अथक प्रयास व पैरवी से अभियुक्त गणों को एनएसए के अन्तर्गत 09 माह के लिये निरुद्ध किया गया था जिसकी अवधि 03 माह बढ़ाकर 01 वर्ष कर दिया गया है।

<u>एनएसए में निरुद्ध अभियुक्तगण का विवरणः-</u>

01. त्रिलोक सिंह उर्फ बउवा पुत्र जयचंद्र निवासी खोपा
02. रामप्रकाश उर्फ आरपी सिंह पुत्र रामकिशुन नि0 साहबतारा मजरा देवारी
03. अशोक कुमार यादव पुत्र चुनकूराम निवासी देवारी
04. चंद्रभान पुत्र कामता प्रसाद नि0 बरद्वारा
05. शिवसेवक सिंह पुत्र रामबालक सिंह नि0 देवारी
06. राममिलन निषाद पुत्र देवराज निषाद नि0 सुरवल
07. चुनवाद यादव पुत्र ददुआ यादव नि0 साहबतारा मजरा देवारी

(6). आज दिनांक 17.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से

चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(7). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री घनश्याम द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप श्री संजय कुमार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 229/2015 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त हरिश्चन्द्र उर्फ धौसड़ पुत्र रामनाथ सोनकर निवासी सरधुवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का कारावास व 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8). दिनाँक-16.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।